केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीयकरण
(CENTRALISATION AND DECENTRALISATION)

गौरव जायसवाल

वणिज्य विभाग

दुर्गा महाविद्यालय रायपुर

केन्द्रीयकरण
(Centralisation)

अधिकार सत्ता का भारार्पण न करना ही केन्द्रीयकरण कहलाता हैं। केन्द्रीयकरण का मतलब है कि योजना बनाने और निर्णय लेने की शक्ति विशेष रुप से शीर्ष प्रबंधन के हाथों में है।

हॉज एवं जॉनसन के अनुसार 'केन्द्रीयकरण संगठन संरचना का वह प्रारुप है जिसमे नियन्त्रण के क्षेत्र के विस्तार को कम किया जाता है।'

केन्द्रीयकरण की विशेषताएं
(Characteristics of Centralisation)

- अधीनस्थों का महत्व कम होता है।
- अधीनस्थ क्रियान्वयन का कार्य करते है।
- उच्च अधिकारियों के हाथों में सारे अधिकार केन्द्रित रहते हैं।
- अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाता है।
- यह व्यक्तिगत व एकाकी नेतृत्व को बढ़ावा देता है।

केन्द्रीयकरण के लाभ
(Advantages of Centralisation)

- इससे प्रभावी नियंत्रण सम्भव है।
- यह व्यक्तिगत नेतृत्व को सुविधाजनक बनाता है।
- केन्द्रीयकरण के द्वारा स्थायी व्ययों में कमी लायी जा सकती है।
- इससे संकटकालीन परिस्थितियों का आसानी से सामना किया जा सकता है।
- केन्द्रीयकरण में अधिकार सत्ता की संरचना सरल एवं सुगम होती है।

केन्द्रीयकरण के दोष
(Disadvantages of Centralisation)

- कागजी कार्य बढ़ जाते है।
- उच्च प्रबन्धकीय अधिकारियों के कार्यो में वृद्धि होती हैं।
- कार्य में विलम्ब होता है।
- निर्णयों में त्रुटियों की सम्भावना बनी रहती है।
- सदैव टकराव की स्थिति बनी रहती है।

विकेन्द्रीयकरण
(Decentralisation)

जब निर्णय लेने का कार्य निम्न स्तर के प्रबंधको या अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है तब ऐसी व्यवस्था को विकेन्द्रीयकरण कहते हैं।

जे.एल.मैसी के अनुसार–'विकेन्द्रीयकरण संगठनात्मक अवधारणा के रुप में निर्णयन को संगठन के निम्न स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया है।'

विकेन्द्रीयकरण की विशेषताएं
(Characteristics of Decentralisation)

- यह अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है।
- यह अधिकार सत्ता का वितरण करती है।
- भारार्पण विकेन्द्रीयकरण का प्रथम चरण है।
- नियोजन एवं निर्णयन जैसी प्रक्रियाओं में अधीनस्थों को भागीदारी मिलती है।
- यह प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर लागू होती है।

विकेन्द्रीयकरण के लाभ
(Advantages of Decentralisation)

- उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमीं आती है।
- विकेन्द्रीयकरण व्यवस्था से कार्य में तेजी आती है।
- लालफीताशाही का दोष कम हो जाता है।
- कर्मचारियों के मनोबल एवं प्रेरणा में वृद्धि होती है।
- इसमें निर्णयन में सुविधा व सरलता रहती है।

विकेन्द्रीयकरण के दोष
(Disadvantages of Decentralisation)

- प्रशासन में एकरुपता का अभाव पैदा हो जाता है।
- उच्च स्तर का नियन्त्रण कम हो जाता है।
- विकेन्द्रीयकरण के कारण प्रशासनिक व्ययों में व्ययों में वृद्धि होती है।
- इस व्यवस्था में समन्वय का कार्य जटिल हो जाता है।
- अधीनस्थों पर निर्भरता बढ़ जाती है।

THANK YOU